न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 05/2017

बउनवान

चतुर्भुज आयु 65 वर्ष पुत्र श्री छगनलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम मण्डोला तहसील व जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री महेश प्रकाश गौत्तम, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 04.01.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 04.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम मण्डोला तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1956 रकबा 0.04 है., किस्म–सिवायचक चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 20/– रूपये अर्थदण्ड एंव आराजी से बेदखली कर फसल जप्ती व नीलामी हेतु आदेश पारित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। खसरा नंबर 1956 कागजात राज में गैरमुमकिन खलिहान दर्ज है जिस पर किसी प्रकार की काश्त नहीं होती है। अपीलांट कृषक होने से अपने पूर्वजों के समय से कृषि उपज डालता आ रहा है इसके अलावा उसका कोई अतिक्रमण नहीं है। खलियान अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया। पत्रावली पर कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है न [illegible] कोई पुष्टि हुई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसे अतिक्रमी मानकर सजा [illegible] भारी भूल की है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर न देने एवं एक[illegible] न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना हुई है इसी कार[illegible] जाने योग्य है। अ[illegible]लांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नि[illegible]य दिनांक 04.10.201[illegible]त किया जावें।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अपीलांट उक्त भूमि पर अपनी आराजी पर हुई फसल को डालकर खलियान के रूप में उपयोग करता है तथा खलियान अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट जर्ये पुत्र न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट विवादित आराजी पर अतिक्रमी रहा है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, विवादित आराजी पर अपीलांट अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 799/2016 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:36 IST
Reason: SelfAttested